



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502

24 सितंबर 2021

मास्टर निदेश – आरबीआई (ऋण एक्सपोजर का अंतरण) -
(मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निम्नलिखित मास्टर निदेशों को जारी किया:

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का अंतरण) निदेश, 2021
- (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021

यह उल्लिखित है कि उपरोक्त के संबंध में मसौदा दिशानिर्देश [8 जून 2020](#) को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए गए थे। आज जारी किए गए अंतिम निदेश को अन्य बातों के साथ-साथ प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होते हैं और निदेशों में सूचीबद्ध सभी मौजूदा संबंधित परिपत्रों को निरस्त कर दिया गया है।

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/923

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक